



न्यायालय राजस्व परिषद् म.प. गवालियर. G.F.B.I.L  
=====

नवीन नं. 234/2001

प्र०क्र० R. 234-109

पर्याखेलाल पिता बालुंजी धोसो.

निवासी मंदसौर

...आवेदक

विरुद्ध

1. कीतिनारायण पिता शिवनारायण कायप  
निवासी प्रतापगढ़ रोड, मंदसौर

2. भरतनारायण पिता शिसनारायण कयप,  
निवासी प्रतापगढ़ रोड, मंदसौर

3. धापुबाई बेवा चुन्नीलाल धोसो, निवासी  
नयापुरा, मंदसौर

4- रामकुंवर बेवा बालुंझूत द्वारा विधिक प्रतिनिधि

अ. कन्हैयालाल पिता बालु धोसो, निवासी नयापुरा, मंदसौर  
ब-हरिसिंह पिता बालु धोसो, निवासी नयापुरा, मंदसौर

स-रतनलाल पिता बालु धोसो, निवासी नयापुरा, मंदसौर

5-सज्जनबाई पति गोपीलाल इट्टूद्वारा विधिक प्रतिनिधि

अ-तुलसीराम पिता गोपीलाल निवासी नयापुरा मंदसौर  
ब-प्रेमचंद पिता गोपीलाल निवासी नयापुरा, मंदसौर

स-समीरलाल पिता गोपीलाल निवासी नयापुरा मंदसौर

द-मिश्रीलाल पिता गोपीलाल निवासी नयापुरा, मंदसौर

6-नमेदाबाई बेवा हीराली धोसो, निवासी नयापुरा मंदसौर

7-सुपाबाई पति उमरावसिंह धोसो द्वारा विधिक प्रतिनिधि

अ-नाथसिंह पिता उमरावसिंह निवासी नयापुरा, मंदसौर

ब-गोलिबाई उरु सुरीला पिता उमराव धोसो नि. आबारी रोड, प्रतापगढ़,

8-फूलीबाई बेवा नानुराम धोसो निवासी नयापुरा, मंदसौर

9-असगराली पिता अब्दुल्लाहुसेन निवासी बोहरा बाजा मंदसौर ... जावेद

रिविजन प्राधना पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प.म. नाम

संहिता 1959 न्यायालय अनुविभागों द्वारा दिल्ली

५ अप्रैल १९५३/उपोल/०७-०६ द्वारा दिल्ली

३१.१२.५० ते परिवेश द्वारा दी न्यायालय

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-234-एक/09

जिला - मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
५-१२-१८	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २७.३.१९ को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हैं।</p> <p>पेशी दिनांक</p> <p>(3)</p>	 प्रशासकीय सदस्य